

(TO BE PUBLISHED IN PART-II SECTION-3, SUB-SECTION (1) IN
EXTRA-ORDINARY ISSUE OF THE GAZETTE OF INDIA)

Government of India
Ministry of Surface Transport
(Ports Wing)

New Delhi, the

NOTIFICATION

S.R. In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 124, read with Sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the ~~Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Leave) First Amend-~~
ment Regulation, 2000

Regulations 199 made by the Board of Trustees for the Port of and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

(K.V. Rao)
Joint Secretary to the Government of India
(F.No. PE- 12016 / 1 / 2000 - PE-5)

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, Ring Road
New Delhi-110027.

(अधिसूचना)

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास का न्यासी मंडल निम्नलिखित विनियमावली बनाता है :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

- (1) इस विनियमावली का नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी) प्रथम संशोधन विनियमावली, ²⁰⁰⁰ ~~1999~~ होगा।
- (2) यह विनियमावली सरकार की मन्जूरी के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रभावी होगी।

2. विनियम 24 के उपविनियम (1) के खंड (ख) में प्रयुक्त हुई संख्या "240" संख्या "300" के द्वारा प्रतिस्थापित होगी और निम्नलिखित परन्तुक उपविनियम (1) के खंड (ख) के बाद लिखा जायेगा।

(1) :

"परन्तु जहाँ दिसम्बर अथवा जून के अन्तिम दिन कर्मचारी के पास 300 दिन या उससे कम किन्तु 285 दिन से अधिक अर्जित अवकाश जमा है वहाँ जनवरी या जुलाई के पहले दिन अग्रिम रूप से जमा किया जाने वाला 15 दिन का अवकाश अलग से रखा जायेगा और उसे छमाही में कर्मचारी द्वारा लिए गये अर्जित अवकाश के साथ समायोजित किया जायेगा और अगर छुट्टियाँ शेष बची हों तो उसे छमाही के छुट्टी खाते का हिसाब करते समय जमा किया जायेगा बशर्ते कि इस अर्जित अवकाश और पहले से जमा छुट्टियाँ अधिकतम 300 दिन से अधिक न हों।"

3. निम्नलिखित उपविनियम (5) उपविनियम (4) और विनियम 26 के परन्तुक के पहले लिखा जायेगा

"(5) अर्धवित्तन छुट्टी बीमार होने पर या निजी मामलों में मन्जूर की जायेगी।"

विनियम 32 के उपविनियम (1) में संख्या "240" के स्थान पर "300" प्रतिस्थापित होगी।

विनियम 33 में,

- (1) उपविनियम (2) (क), (2) (ख), (4) (क) (ii), (5) (7) (क) (i) और (iii) और (8), में संख्या "240" के स्थान पर "300" प्रतिस्थापित होगी।
- (2) उपविनियम (7) के खंड (क) (ii) में प्रयुक्त हुई संख्या "120" के स्थान पर "150" प्रतिस्थापित होगी।
- (3) निम्नलिखित उपविनियम विद्यमान विनियम के बाद लिखा जायेगा।
 "(11) वह कर्मचारी जिसे सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र अथवा स्वायत्तशासी निकाय की सेवा में समाहित होने की अनुमति दे दी गई हो उसे छुट्टी मन्जूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी तरफ से उसके खाते में जमा अधिकतम 300 दिन की अर्जित छुट्टियों के छुट्टी वेतन के बराबर नकद राशि मन्जूर की जायेगी।" इसे भी उपविनियम (2) के खंड (ख) में बताई विधि से गिना जायेगा।

विनियम 34 के उपविनियम (2) में खंड (v) को निकाल दिया जायेगा।

विनियम 36 में,

- (1) उपविनियम (1) में संख्या "90" "135" से प्रतिस्थापित होगी।
- (2) उपविनियम (3) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित होगा :
 "(3) मंडल की सम्पूर्ण सेवा के दौरान किसी महिला कर्मचारी के कितने ही बच्चे क्यों न हों, गर्भपात होने या करवाने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसे अधिकतम 45 दिन की प्रसूति छुट्टी मन्जूर की जायेगी।"

(3) निम्नलिखित उपविनियम (6) और (7) उपविनियम (5) के बाद लिखे जायेंगे।

"(6) जिस पुरुष कर्मचारी (प्रशिक्षु भी) के दो से कम बच्चे होंगे उसे उसकी पत्नी के प्रसव के समय 15 दिन की पैतृत्व छुट्टी मन्जूर की जायेगी। ऐसी छुट्टी की अवधि में उसे छुट्टी पर जाते समय मिलने वाले वेतन के बराबर छुट्टी वेतन का भुगतान किया जायेगा। पैतृत्व छुट्टी को छुट्टी खाते में नहीं डाला जाएगा और उसे किसी भी प्रकार की अन्य छुट्टी से जोड़ा नहीं जाएगा। इसके लिये सामान्य रूप से किसी भी परिस्थिति में मना नहीं किया जायेगा।


(7) किसी महिला कर्मचारी द्वारा किसी बच्चे को गोद लेते समय उसे जिस प्रकार की छुट्टी देय और ग्राह्य होगी (चिकित्सा प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करने पर अदेय छुट्टी और परिवर्तनीय छुट्टी जो 60 दिन से अधिक न हो के सहित) व उसे एक साल के लिए या बच्चे के एक साल का होने पर, इस अवधि में जो पहले हो उस समय तक मन्जूर कर दी जायेगी। यह सुविधा उस स्थिति में ग्राह्य नहीं होगी जबकि उस महिला के बच्चा गोद लेते समय उसके अपने दो बच्चे पहले से हों होंगे।"

टिप्पणी :

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी) विनियमावली भारत के राजपत्र (असाधारण)

दि. 24 जनवरी, 1993 को स.क.नि. 32 (क) के द्वारा अधिसूचित हुई थी।

DRAFT NOTIFICATION



In exercise of powers conferred by Section 28 of Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Board of trustees of JNPT hereby makes the following regulations, namely:

1. Short title and commencement:

(1) These regulations may be called Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Leave) First Amendment Regulations, ~~1999~~ 2000

(2) They shall come into force with effect from the date of publication of sanction of the Government in the Gazette of India.

The figure "240" appearing in clause (b) of sub regulation (1) of regulation 24 shall be substituted by the figure "300" and the following proviso shall be inserted after clause (b) of sub regulation (1):

"Provided that where the earned leave at the credit of Employee as on the last day of December or June is 300 days or less but more than 285 days, the advance credit of 15 days earned leave on first day of January or July to be afforded shall be kept separately and first adjusted against the earned leave that the employee takes during that half year and the balance if any shall be credited to the leave account at the close of the half year, subject to the condition that balance of such earned leave plus leave already at credit do not exceed the maximum limit of 300 days."

Following sub regulation (5) shall be inserted after sub regulation (4) and before the proviso of regulation 26

"(5) Half pay leave may be granted on medical ground or on private affairs."

In sub regulation (1) of regulation 32, the figure "240" shall be substituted by the figure "300".

In regulation 33,

(1) In sub regulations (2)(a)(2)(b), (4)(a)(ii), (5), (7)(a)(i) and (ii) and (8), the figure "240" shall be substituted by the figure "300".

(2) In clause (a)(ii) of sub regulation (7) the figure "120" shall be substituted by the figure "150".

(3) The following sub regulation shall be inserted at the end of the existing regulation:

"(11) An employee who has been permitted to be absorbed in a government, public sector or autonomous body shall be granted suo motu by the authority competent to grant leave, cash equivalent of leave salary in respect of earned leave at his credit on the date of absorption subject to a maximum of 300 days. This will be calculated in the same manner as indicated in clause (b) of sub regulation (2)."

In regulation 34, in sub regulation (2) clause (v) shall be deleted.

In regulation 36,

(1) In sub regulation (1) the figure "90" shall be substituted by the figure "135".

(2) Sub regulation (3) shall be substituted as follows:

"(3) Maternity leave not exceeding 45 days may also be granted to a female employee irrespective of the number of surviving children during the entire service to the Board in case of miscarriage including abortion on production of medical certificate."

(3) Following sub regulation (6) and (7) shall be inserted after sub regulation (5):

“(6) A male employee (including an apprentice) with less than two surviving children may be granted paternity leave for a period of 15 days during the confinement of his wife. During the period of such leave, he shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave. Paternity leave shall not be debited against the leave account and may be combined with any other kind of leave. It may not normally be refused under any circumstance.”

(7) A female employee on adoption of a child may be granted leave of the kind due and admissible (including leave not due and commuted leave not exceeding 60 days without production of medical certificate) for a period up to one year to till such time the child is one year old, whichever is earlier. This facility will not be admissible in case she is already having two surviving children at the time of adoption.”

Note:- JNPT Employees (Leave) Regulations were notified in the Gazette of India (Extraordinary) dated 25th January, 1993 vide G.S.R 32(E)